

विचार बिन्दु

अवसर तो सभी को ज़िंदगी में मिलते हैं किंतु उनका सही वक्त पर सही तरीक़े से इस्तेमाल कितने कर पाते हैं?

—संतोष गोयल

हमारे पंच परमेश्वर कितने परमेश्वर हैं?

लो कतरं की व्यवस्था ही ऐसी होती है कि व्यक्ति को न्याय मिले। न्याय उसका अधिकार है। विवाद प्रत्येक स्तर पर होते रहते हैं और होते रहेंगे। व्यक्ति अकेला नहीं जीता, समूह में जीता है। विवाह की एक संस्था के कारण एक से दो होते हैं और फिर परिवार बनता है। इस समूह का विस्तार होकर वह समूचे विश्व व समूचे ब्रह्मांड तक पहुँचता है। निश्चय ही समस्त जीव जगत ही नहीं निर्जीव जगत से भी मानव को सामंजस्य बैठाना पड़ता है। प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य बिटाने हेतु उसके पांच मूलभूत तत्वों के साथ समायोजन न होने पर प्रकृति भी रह हो जाती है और उसके कारण हो रही प्राकृतिक आपदाएँ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। हमें पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व स्तरीय संस्थाएँ भी बनानी पड़ी हैं। कहने का आशय यह है कि प्रत्येक स्तर पर विवाद हेतु मानव ने न्यायिक व्यवस्था का निर्माण किया है। हमारे देश में भी इन्होंने विवादों को निपटाने हेतु प्रशासनिक, राजनीतिक व न्यायिक संस्थाएँ हैं जिन्हें हम क्रमशः कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की संज्ञा देते हैं। पटवारी से लेकर मुख्य सचिव तक प्रत्येक राज्य में प्रशासनिक दांचा है। विधायिका के अन्तर्गत राज्य में विधानसभाएँ व केन्द्रीय स्तर पर संसद है। एक और संस्था पंचायत से लेकर पंचायत राज्य मंत्री तक जाती है। स्वायत्त शासन की भी एक संस्था है जिसमें नगर पालिका व विकास प्रशासक अथवा विकास ऑथोरिटी आ जाते हैं। जो इकाइयाँ निर्वाचन से बनती हैं वे विधायिका की तरह काम करती हैं और जहाँ निर्वाचन नहीं होते वे प्रशासनिक इकाइयों की तरह काम करती हैं। बहरहाल विधायी एवं प्रशासनिक इकाइयों का नीचे के स्तर पर जो अन्तर्संबंध है उसकी भी नकारा नहीं जा सकता। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि लोकतंत्र में कोई भी संस्था पूर्णतः स्वतंत्र रूप से काम करती है। इनमें अन्तर्संबंध न होने पर किसी भी एक के निरंकुश होने की संभावना हो सकती है। राष्ट्रपति हमारे देश में तीनों सेना का मुखिया है, और संसद के निर्णय पर राष्ट्रपति की मोहर लगती है। उच्चतम न्यायालय के मृत्युदंड के निर्णय पर भी राष्ट्रपति निर्णय देता है। कार्यपालिका के निर्णय की अपील न्यायपालिका में की जाती है। संसद के निर्णय की संवैधानिक समीक्षा भी उच्चतम न्यायालय करता है।

यह संपूर्ण भूमिका इसलिये है कि सभी स्तरों का निर्णय तथा उनकी अपील व समीक्षा हेतु इकाइयों का प्रावधान है जो निर्णय करती हैं। लेखक की यह मान्यता है कि जहाँ कहीं बिना निर्वाचन के जो तंत्र बना है और उसके जिस भी स्तर पर निर्णय दिया जाता है वह व्यक्ति व समूह उस स्तर पर पंच-संपंच का कार्य कर रहा है। निर्णयकर्ता जो भी पंच-संपंच हैं उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे ईश्वर के नाम पर तथा संविधान के अन्तर्गत न्याय करें। विधायिका में भ्रष्ट लोग आ जाते हैं जो स्वार्थ के वशीभूत निर्णय देते हैं, दलीय आधार पर निर्णय करते हैं। प्रशासनिक तंत्र भी घोर भ्रष्टाचार से ग्रस्त है और निष्पक्ष नहीं रह पाता। अन्ततोगत्वा न्यायपालिका ही आशा की किरण बनती है। इस दृष्टि से हाल ही सोशल मीडिया पर एक चर्चा ज़ोरों पर है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र का उल्लेख है। इस तथ्याकाथित पत्र में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने हेतु सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लिखे पत्र के मुख्य बिंदुओं का भी उल्लेख है। ये समाचार सत्य है कि नहीं परन्तु तथाकथित प्रच्युतर के बिंदु सभी के लिये विचारणीय हैं विशेष रूप से न्यायपालिका के लिये।

सोशल मीडिया को भी ग़ैर जिम्मेदार कहा जाता है। लोग न्यायपालिका की आलोचना से बचते हैं क्योंकि न्यायालय की अमानना का डर रहता है। इसका यह आशय नहीं हो जाता कि न्यायपालिका दूध की धुली है। स्वयं मुख्य न्यायाधीश उसकी कमी दर्शा चुके हैं, अतः सोशल मीडिया की चर्चा पर सभी पक्षों को विचार करना चाहिये।

सोशल मीडिया की चर्चा में संपूर्ण न्यायपालिका एवं मुख्यरूप से उच्चतम न्यायालय पर ये बिंदु लागू होते हैं। सामान्यतः 2 से 3 बजे तक सामान्यतः पीठासीन अधिकारी लंच रखते हैं और 4 बजे कार्य बंद हो जाता है। अन्य सरकारी कार्यालयों की तरह 9 से 6 तक कार्य क्यों नहीं हो पाता और क्या उसे लागू नहीं किया जा सकता? उल्लेखनीय


है कि फैसले तो प्रशासनिक कार्यालयों में भी राजस्व और कुछ फ़ौजदारी मामलों के दिये जाते हैं और लम्बे-लम्बे निर्णय लिखाने की पड़ते हैं। न्यायपालिका पर भार अधिक है तो शनिवार की छुट्टियों को भी काम किया जा सकता है। निश्चय ही जनहित में यह निर्णय लिया जा सकता है। शनिवार-रविवार का अवकाश अंग्रेजों के समय का तरीका रहा है और यह प्रयोग भारत के अन्य सरकारी कार्यालयों में भी सफल नहीं रहा है। लोगों में पुरानी 10 से 5 की आदत पड़ी हुई है। न्यायालय में गर्मी की छुट्टियों की निश्चय ही कोई तुक नहीं है। न्याय तो 3.65 दिन व 2.4 घंटे करना होता है। राजधर्म में राजा को न्याय हेतु सदैव उपलब्ध रहना होता है। अपराध करने वाले तो छुट्टियों का नाजायज़ लाभ उठाते हैं और इन दिनों कई अपराध बढ़ते हैं। कई बार रात्रि में भी सुनवाई की जाती है, उसकी समीक्षा कर उसकी आवश्यकता निर्धारित की जानी चाहिये। आयु सीमा अधिक है और राज्यकोष से सभी सुविधाएँ यथा कार, बंगला, सुरक्षा, भ्रष्ट वेतन तथा केबिनेट मंत्री की सुविधा दी जाती है। क्या उसी अनुपात में परिश्रम की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। रविवार की और आवश्यक अवकाशों के अलावा 300 दिन कार्य किया जा सकता है। प्रधानमंत्री 3.65 दिन काम करते हैं और न्यायालय काफ़ी कम दिन ही कार्य कर पाता है। जनहित याचिकाओं को प्रथम दृष्टया अनारक्षक पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये और महत्वहीन जनहित याचिकाओं को निरुत्साहित करना आवश्यक है। कई बार महत्वहीन छोटी-छोटी बातों पर की गई याचिकाओं पर समय व्यर्थ चला जाता है। कई बार 2, 3, 5 जजों की बैंच बनती है, इसमें औचित्यपूर्ण कमी की जा सकती है।

न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसमें अन्य कई कारण भी हैं। वकीलों द्वारा पेशी बदलवाते रहना, जज द्वारा उसकी स्वीकृति देते रहना, पक्ष-विपक्ष को विरम्य कराने की प्रवृत्ति, जज का अवकाश में होना, शोक सभा व अन्य अवसरों पर सुनवाई रोक देना आदि भी कारण बनते हैं। न्यायपालिका का अंग्रेजों वाला पेटर्न बदलना चाहिये। वकील, सरकार व जज बैठ कर हमारी न्याय संहिताओं को अधिक व्यावहारिक बनायें तो उचित होगा। सुप्रीम कोर्ट तक साधारण, सामान्य निर्धन व्यक्ति पहुँच ही नहीं सकता वह अत्यधिक व्यय-साध्य है, इस पर भी विचार होना चाहिये।

न्यायालय बेतहाशा बढ़ें परन्तु न्यायालयों और जज की मांग निरंतर बढ़ती जाती है। इस देश की परिस्थितियों में लोकतंत्र के प्रत्येक स्तंभ को अधिक ईमानदारी व परिश्रम से काम करना होगा, तभी समस्याएँ सुलझेंगी। सोशल मीडिया द्वारा उठाये गये बिंदु कितने सही व सार्थक हैं इन पर जन साधारण विचार करेगा ही, परन्तु इतना तो सही है कि न्यायपालिका की कई कार्रवाइयों में तत्काल सुधार की आवश्यकता है तभी पंच परमेश्वर बन सकेंगे।

कार्यपालिका में नौकरशाही की खुलकर आलोचना होती ही रहती है। उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के उदाहरण भी सामने आते ही रहते हैं। उन पर कार्यवाही भी होती है, परंतु वह अभी प्रभावी नहीं हो पाई है। लोगों में यह अवधारणा है कि बिना रिश्तत के अथवा बिना सिफारिश के कोई काम नहीं होता। अपवादों की चर्चा तो सामान्यतः होती ही नहीं जो स्वाभाविक है। इसी प्रकार राजनेताओं के भ्रष्टाचारों की भी खूब चर्चा होती है। उनमें कई दंगी, अपराधी हैं, यह भी सच है। उनमें दल बदलने की प्रवृत्ति अधिक है। उनका कोई आदर्श, कोई सिद्धांत नहीं है, मात्र स्वार्थ ही प्रधान होता है, सेवा भावना नहीं। मीडिया में झूठी व फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं। सोशल मीडिया को भी ग़ैर जिम्मेदार कहा जाता है। लोग न्यायपालिका की आलोचना से बचते हैं क्योंकि न्यायालय की अमानना का डर रहता है। इसका वह आशय नहीं हो जाता कि न्यायपालिका दूध की धुली है। स्वयं मुख्य न्यायाधीश उसकी कमी दर्शा चुके हैं, अतः सोशल मीडिया की चर्चा पर सभी पक्षों को विचार करना चाहिये। केन्द्रीय कानून मंत्री ने भी एक सुझाव दिया था कि जजों के चयन में वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है। जजों के चयन में सिफारिश, पक्षपात, राजनीतिक दखल आदि का कोई स्थान न रहे और वह और पारदर्शी हो सके यह प्रयास हो जिससे कि हमारे पंच वास्तव में परमेश्वर बन सकें।

—अतिथि सम्पादक, कैलाश विहारी वाजपेयी, (स्वतंत्र चिंतक व लेखक)



राशिफल
गुरुवार 24 नवम्बर, 2022
मार्गशीष मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत् 2079, अनुराधा नक्षत्र सांय 7:37 तक, अतिगंड योग दिन 12:19 तक, किस्तुघ्न करण दिन 3:02 तक, चन्द्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-वृष, बुध-वृश्चिक, गुरु-मौन, शुक-वृश्चिक, शनि-मकर, राहु-मेघ, केतु-तुला राशि में।
आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 7:37 तक है। आज शुक्र उदय रात्रि 12:15 पर होगा। आज रुद्रव्रत (पीडिया व्रत), भगवान पुष्प दत्त जन्म अतः तप कल्याणक दिवस (जैन) है और धैर्य व्रतगत उसव आरम्भ होगा।
सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:16 तक, चर 10:54 से 12:13 तक, लाभ-अमृत 12:13 से 2:51 तक, शुभ 4:10 से सूर्यास्त तक।
राहुकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:57, सूर्यास्त 5:30

मेघ
परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वाणी की कटुता के कारण परिवार में तनाव हो सकता है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

वृष
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण बढ़ेगी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

कर्क
परिवार में मार्गलिक और महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यवसायिक आय में वृद्धि होगी। चलते व्यवसायिक कार्यों में प्रगति होगी। मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आर्थिकों के आगमन से भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण बना रहेगा।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों में परिचित से सहयोग मिल सकता है। व्यावसायिक व्ययों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। परिवार में संदेश प्राप्त होंगे।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजना/सुधार बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु
व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। नौकरपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आवश्यक कार्यों के लिए यात्रा संभव है।

मकर
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यक्तियों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक मामलों में परिचितों से संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

कर्मयोगी : घुमन्तू



डॉ. कैलाश सोडाणी

प्रतिशोध में 1871 में 'आपराधिक जनजाति अधिनियम' लागू किया, जिसके आधार पर लगभग 200 जनजातियों में जन्म लेने वाले नवजात के माथे पर 'चोर' शब्द खुदवाया जाता था। पिता थाने में जाकर अपने बेटे का नाम अपराधियों की सूची में लिखवाने के लिए मजबूर था। ऐसे पिता के दर्द को हम समझ सकते हैं। सोभाण से 81 वर्ष पश्चात् 1952 में यह काला कानून समाप्त किया गया।

भारतीय इतिहासकारों ने घुमन्तू जनजाति समूहों द्वारा ब्रिटिश हुकुमत के खिलाफ स्वतंत्रता आन्दोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज किया। इतिहास में इनके बलिदान को पर्याप्त एवं प्रतिष्ठित स्थान नहीं दिया। उमा जी नाइक, भीमा जी नाइक, लक्खीशाह बंजारा, गोविन्द गुरु, संत सेवालाल जी महाराज, अमरा भागत आदि घुमन्तू समाज के प्रमुख महानायक रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक कुरूपियों को समाप्त करने के साथ-साथ आजादी के आन्दोलन के गौरवशाली सितारों भी थे।

देश में ज्ञान-विज्ञान के माध्यम से जैसे-जैसे विकास का रथ आगे बढ़त गया वे जनजातियों अपने पारम्परिक व्यवसाय से हाथ धोती गयी। यातायात के आधुनिकीकरण की वजह से बंजारों का व्यवसाय कमजोर हो गया। तदानीकी विकास में गाँविया लोहारों को बेरोजगार कर दिया। प्लास्टिक के खिलौनों ने कुचबन्दा समुदाय के मिट्टी के खिलौनों को बाजार से बाहर कर दिया। कम्प्यूटर ने समुदाय की पोथियों को छीन लिया। टी.वी., मोबाइल, इन्टरनेट के युग में मनोरंजन के लिए बहुलपिये, बाजीगर, नट या कालबेलियों की कला के लिए लोगों के पास समय नहीं है। धीरे-धीरे इन लोगों को व्यावसायिक प्रासंगिकता शहर से कस्बों, कस्बों से गाँवों, गाँवों से दुर्गम स्थानों तक सिमटकर बलिदान को समाप्त ही हो चुकी है। विकास की आधुनिक दौड़ में घुमन्तू लगातार पिछड़ते जा रहे हैं।

राष्ट्र प्रेम और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कर्मयोगी घुमन्तू को गरीबी से मुक्त करने के लिए रोजगार से जोड़ना होगा। बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रावास सुविधा प्रदान करनी होगी। ब्रिटिश राज से पहले घुमन्तू जनजातियों का जीवन सम्पन्न और सम्मान जनक हुआ करता था। हमें वही सम्पन्नता और सम्मान लौटाना होगा। माननीय द्रोपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना घुमन्तू समुदाय की दशा एवं दिशा बदलने के क्रम में एक अच्छी खबर है।

—डॉ. कैलाश सोडाणी, कुलपति-वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

वर्ष भर पक्षियों के कलरव से आबाद रहेगा मोरेल बांध

लालसोट, (निसं)। उपखंड क्षेत्र के मोरेल बांध में आठ फीट पानी रिजर्व रखने के निर्णय के बाद पक्षी प्रेमियों एवं पर्यटकों प्रेमियों में खुशी की लहर देखी गई है। सिंचाई के लिए पानी छोड़ने को लेकर जलवितरण समिति की बैठक के दौरान जिम्मेदारों के बीच यह निर्णय लिया गया। मोरेल बांध में देशी विदेशी विभिन्न पक्षियों के प्रवास के चलते पानी को रिजर्व रखने की आवश्यकता महसूस हो रही थी तकि आने वाले पक्षियों से आसपास की खेत की फसल में लगे कीटों से नुकसान होने से बचाया जा सके एवं वहाँ पर आने वाले सेलानियों के चलते स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो। बैठक सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर सभागर में जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें दौसा व सवाई माधोपुर के किसान व पदाधिकारी उपस्थित रहे।दौसा जिले से कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में उपखंड



मोरेल बांध में पर्याप्त जलभराव होने के चलते हजारों मील यात्रा तय कर आए राजहंस ग्रेटर प्लेनगिंगो कलरव करते हुए।

प्रवासी पक्षियों को लेकर प्रजेंटेशन दिया तथा बांध में 8 फिट पानी रिजर्व रखने की मांग रखी। जिसे आम सहमति से स्वीकार कर कलेक्टर द्वारा नहर खोलने के आदेश दिए। राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ सुभाष पहाड़िया पिछले चार सालों से मोरल बांध के संरक्षण के लिए प्रयासरत थे। हाल ही में डॉ पहाड़िया द्वारा संभागीय आयुक्त को पत्र लिखकर भी बांध के जल को आठ फिट रिजर्व रखने की मांग की गई थी। डॉ सुभाष पहाड़िया ने बताया की मोरेल बांध में आठ फिट पानी रिजर्व रखने से पक्षी प्रेमी बहुत खुश हैं। अब यहाँ प्रवासी पक्षी स्वच्छंद विचरण कर पाएंगे। बांध में पानी रहने से पक्षियों के लिए हँडिटाट विकसीत होगा।कई पक्षी प्रजातियाँ यहाँ प्रजनन करेगी और उनकी संख्या में वृद्धि होगी। ग्रीष्म ऋतु में जीव जंतुओं के लिए पीने के पानी का संकट नहीं होगा। स्थानीय पू जल स्तर में वृद्धि होगी।

141वीं जयन्ती पर विशेष किसान-मजदूर के दीनबंधु-चौधरी छोटाराम



यादराम सिंह यादव



चौधरी छोटाराम

लालचन्द के साथ आगरा में वकालत शुरू की एवं इसी वर्ष जाट महासभा का गठन किया। उसके बाद सन् 1916 में उन्होंने 'जाट गजट' नामक साप्ताहिक अखबार हिंदी में रोहतक से प्रारम्भ किया। वह अखबार में मजदूर-किसानों की समस्याओं को उठाते थे। अंग्रेजी सरकार तथा जमींदारों साहूकारों व सूदखोरों की गलत नीतियों के द्वारा शोषण दमन के विरुद्ध तीखे कटाक्ष भरे लेख लिखते थे। 'जाट गजट' हरियाणा का सबसे पुराना अखबार है, जो 106 वर्ष बाद आज भी प्रकाशित हो रहा है। इस पत्र को अंग्रेजी दौर में साप्ताहिक रूप से प्रकाशन के समय पंद्रह सौ प्रतियाँ छपना शुरू हुयी थी। इसका उद्देश्य थी विशेषकर जाट जाति के उत्थान के लिए था किन्तु बाद में वह जमींदार पार्टी का कट्टर समर्थक बन गया। छोटाराम ने किसानों की जमीन गिरवी रखने, उन्हें बंधुआ मजदूरी कराने के लिए साहूकारों द्वारा उर्पीडन करने के खिलाफ आवाज उठायी। अपने पत्र में वह पंद्रह सरकारी अफसरों, सूदखार, महाजनों के शोषण के विरुद्ध लेख लिखते थे। उन्होंने कोर्ट में भी इन शोषकों के विरुद्ध अनेक मुकदमें लडे व जीते थे। सर छोटाराम ने अंग्रेजों से ही मोरों के शिकार पर भी पाबन्दी लगवा दी थी। इनके प्रमुख लेखों के शीर्षक 'मोर बचाओ', 'ठगी के

बाजार को सैर', 'पाकिस्तान, जाट नौजवानों की जिंदगी के लिए नुखे' आदि थे। सर छोटाराम अपने लेखों में साहूकार ही नहीं अंग्रेज अफसरों के विरुद्ध भी आम जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाते थे। छोटाराम गांधीजी के असहयोग आन्दोलन 1920 से सहमत नहीं थे। उनका तर्क था कि इससे गरीब किसानों व श्रमिकों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए वह स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अलग हो गये। परन्तु मत भेदों के बावजूद वह गांधीजी के प्रशंसक भी थे। सर छोटाराम ने किसानों के हित में दो बड़े महत्वपूर्ण कानून अंग्रेजों से पास कराये थे। '411' दी पंजाब रिलीफ इनडेव्ट्नैस एक्ट, 1934; '421' दी पंजाब डेव्लपमेंट एक्ट 1929 भी पास कराया था। इन कानूनों के लागू होते ही किसानों को साहूकारों के शोषण से मुक्ति मिली थी। इन कानूनों के तहत किसानों की कर्जांमुक्ति एवं जमींदारों-साहूकारों व सूदखोरों से गिरवी रखी जमीनें किसानों को वापस मिलीं एवं वे जमीनों के मालिक बन गये। इसके तहत किसानों द्वारा जमींदारों-साहूकारों से लिया गया ऋण नकद या जमीन गिरवी रखने पर ऋण को दो गुनी रकम चुकाने पर ऋण एवं भूमि पुस्तकी का प्रावधान किया गया था। इससे हजारों किसानों, जमींदारों,

साहूकारों के चंगुल से मुक्त हो गये। यह व्यवस्था 'दाम-दुपट्टा' कहलाती थी। इसके अलावा छोटाराम ने बालश्रम एवं बंधुआ मजदूरी पर कानून बनाकर पाबन्दी लगवायी। मजदूरों को काम के 8 घंटे तय किये गये एवं सप्ताह में एक छुट्टी का नियम बनवाया। सर छोटाराम ने अंग्रेजों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी मांग पर 22,000 से अधिक युवक सेना में भर्ती कराये। इनकी वफादारी से खुश होकर अंग्रेजों ने फाँखड़ा गंगल बांध के निर्माण एवं सतलज नदी के पानी के लिए जिस पर बिलासपुर 'एच.पी.' के राजा का अधिकार था। छोटाराम के प्रस्ताव को स्वीकार था। राजा राजेन्द्र ने समझौता कराके पानी का अधिकार प्राप्त किया था। उन्होंने दलित शिक्षित युवकों को ऊँचे-ऊँचे पद देकर अपनी उदारता व दलित प्रेम का परिचय दिया। छोटाराम ने स्वयं एक गाँव में जाकर अछूतों को कुएँ पर चढ़ाया जाकर पानी भरवाना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष/आन्दोलन करके तत्कालीन समय में प्रचलित साहूकारों जमींदारों द्वारा गरीब किसानों मजदूरों से वसूल जाने वाले अनेकों व्यवसाय कर एवं लाग-बाग आदि जैसे कुम्हारों पर 'चाक-लाग', भेड़ बकरी पालकों पर 'कतरन लाग', दलित बुनकरों पर 'बुनकर लाग', नाइयों पर 'कतरन-लाग' को खत्म करार के शोषण से मुक्ति दिलायी। छोटाराम ने कौमी एकता के लिए सभी पिछड़ी जातियों को 'अंगार' नाम देकर, अत्र अहीर, जत्र जाट, गत्र गुर्जर एवं रत्र राजपूत और रोडे सभी कृषक जातियों को संघटित कर एक कल्पे का प्रयास किया। वह साम्प्रदायि एकता के भी प्रतीक थे। वह एक साधारण व्यक्ति थे किन्तु उन्होंने मजदूर किसानों के हित में असाधारण कार्य किये। सन् 1937 में झज्जर के जुझारू नेता चौधरी छोटाराम पहले विकास, शिक्षा व राज्य मंत्री बने थे। उस समय अंग्रेजी सरकार ने किसानों की उपज गेहूँ की खरीद का

—यादराम सिंह यादव, वरिष्ठ लेखकेवं स्वतंत्र पत्रकार